APP-A
CRM-I

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत– न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन मुकाम कपासन

मोहनी बनाम केसरसिंह

किस्म मुकदमा ..... नं० 38 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2025	पत्रावली सिगहे से पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ–01(02)2019/491 दिनांक 05.08.2025 से हस्तगत प्रकरण की सुनवाई बाबत् क्षेत्राधिकारिता न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक), कपासन की गई है। अतः श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश की पालना में हस्तगत प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन को स्थानान्तरित किया जाता है। तद्नुसार प्रकरण में न्यायालय हाजा से कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे। मूल पत्रावली सहायक कलक्टर (फ़ास्ट–ट्रेक) कपासन के समक्ष पेश हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन	
06.08.2025	पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ–01(02)2019/491 दिनांक 05.08.2025 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन से अंतरित होकर प्राप्त हुई है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण की न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन में अग्रिम पेशी दिनांक 22/8/2025 नियत रही है। तद्नुसार वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली इस न्यायायल में भी उक्त पेशी दिनांक 22/8/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन	403 2025
	22/8/2025 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 8/10/2025 को पेश हों।	
8/10/2025	वकील दावी हाजिर हुई। बार–बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से पत्रावली नस्ती दावी अस्त पैरवी से स्वाधीन की जाती है। पत्रावली फैसल कमार सेल्फ अन्दर से कम हो। आदेश सुनाया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन	